संख्या-790/2017/1902/22-2-2017-17(22)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री बद्री, निवासी जनपद-फैजाबाद हाल जनपद-सुल्तानपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28296/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-22-06-2017) दिनांक-04-08-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री बद्री, निवासी-वृन्दावन एच0ओ0-लक्ष्मनपुर ग्रण्ट, कोतवाली-बीकापुर जनपद-फैजाबाद हाल पता-जगराज मिश्र का पुरवा एच0ओ0 रामनगर, थाना-कूडेभार जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। बन्दी ने त्रिजुगी नरायन से जमीन विवाद को लेकर दिनांक 16.09.2001 को दिन में लगभग 09:30 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आत्माराम, उसकी पत्नी रामउरेही, वादी का पुत्र अमरपाल, जयपाल एवं पुत्री सुमन व पोती कुन्ता को गडासे व बांके से काटकर कुल 06 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया0 सं0'9, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.01.2017 तक 14 वर्ष 00 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 27.06.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने त्रिजुगी नरायन से जमीन विवाद को लेकर दिनांक 16.09.2001 को दिन में 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासे व बांके से काटकर कुल 06 लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री बद्री को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-25987 (एम0बी0)/2016 रामपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामपाल (बन्दी संख्या-46644) पुत्र श्री बद्री निवासी जनपद-फैजाबाद हाल जनपद-सुल्तानपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-790/2017/1902(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-790/2017/1902/22-2-2017-17(22)/2017

दिनांक 28 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल (बन्दी संख्या-46644) पुत्र श्री बद्री, निवासी-वृन्दावन एच0आ0-लक्ष्मनपुर ग्रण्ट, कोतवाली-बीकापुर जनपद-फैजाबाद हाल पता-जगराज मिश्र का पुरवा एच0ओ0 रामनगर, थाना-कूडेभार जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। बन्दी ने त्रिजुगी नरायन से जमीन विवाद को लेकर दिनांक 16.09.2001 को दिन में लगभग 09:30 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आत्माराम, उसकी पत्नी रामउरेही, वादी का पुत्र अमरपाल, जयपाल एवं पुत्री सुमन व पोती कुन्ता को गडासे व बांके से काटकर कुल 06 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया0 सं0'9, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.01.2017 तक 14 वर्ष 00 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 27.06.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने त्रिजुगी नरायन से जमीन विवाद को लेकर दिनांक 16.09.2001 को दिन में 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासे व बांके से काटकर कुल 06 लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री बद्री को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।